<u>नामांकन प्रक्रिया</u>

पात्र लाभार्थी सम्यक रूप से पूर्ण भरे गए नामांकन प्ररूप तथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के सेट को प्रस्तुत करने के उपरांत **एमजीपीएसवाई** में नामांकन करने के लिए समर्थ होंगे। **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय** द्वारा नियुक्त और प्राधिकृत किए गए पीएफआरडीए द्वारा विनियमित 'संकलक' पात्र प्रवासी भारतीय कर्मकार को एमजीपीएसवाई में नामांकन करने में सहायता प्रदान करेंगे। पात्र कर्मकार भारत में प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स (पीओई) के कार्यालय में अथवा ईसीआर देशों में प्राधिकृत संकलकों के कार्यालयों में स्थित विशेष हैल्पडेस्कों में **एमजीपीएसवाई** खाता खोलने में समर्थ होंगे।

सेवा प्रदाता एजेंसियां अथवा 'संकलक'

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने पात्र प्रवासी भारतीय कर्मकारों को **एमजीपीएसवाई** की सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम तथा बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राधिकृत किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा तथा एलआईसी पात्र लाभार्थियों को **एमजीपीएसवाई** खाता खोलने में सहायता करेंगे तथा सब्सक्राइबरों को अनेक सेवाएं प्रदान करेंगे जिनमें आवधिक खाता विवरणी प्रदान करना भी शामिल है। ये 'संकलक' वैयक्तिक सब्सक्राइबर के बैंक खातों से वित्तीय संस्थाओं को उनकी बचत को निवेश हेतु अग्रेषित करने में भी सहायता करेंगे जो सब्सक्राइबर की बचत को प्रबंधित करेगा।

वैयक्तिक बैंक-संबद्ध एमजीपीएसवाई खाते

सब्सक्राइबरों से स्कीम में नामांकन करने से पूर्व बैंक खाता खोलने के लिए कहा जाएगा। **एमजीपीएसवाई** के अंतर्गत प्रवासी भारतीय कर्मकारों की पेंशन तथा आरएंडआरबचत का प्रयोग ईसीएस अथवा स्थायी अनुदेश अधिदेश का प्रयोग करते हुए उनके अपने बैंक खातों के माध्यम से विनिर्दिष्ट निधि प्रबंधकों तक किया जाएगा।

भारत में उनकी वापसी होने पर, **एमजीपीएसवाई** सब्सक्राइबर अपने बैंक खातों तथा समान ईसीएस/एसआई तंत्र का प्रयोग करते हुए एनपीएस-लाइट के माध्यम से उनकी वृद्धावस्था के लिए बचत करना जारी रखने में समर्थ होंगे। प्रत्येक प्रवासी भारतीय कर्मकार के अपने **एमजीपीएसवाई** खाते में पेंशन तथा पुनर्वासन बचत तथा सरकार द्वारा प्रस्तावित सह-अंशदानको प्रतिबिंबित किया जाएगा। आवधिक, समेकित **एमजीपीएसवाई** खाता विवरण सब्सक्राइबर को उनकी अपनी बचत तथा सरकार द्वारा दिए गए तदनुरूपी सह-अंशदान और इस संयुक्त बचत पर इतने समय में अर्जित किए गए लाभ की समीक्षा करने और उसे समेकित करने में समर्थ बनाएगा।

पेंशन तथा आरएंडआर लाभों तक पहुंच

प्रवासी भारतीय कर्मकार अपनी भारत वापसी होने पर अपनी संचित आरएंडआर बचत को एकमुश्त राशि के रूप में वापस लेने में समर्थ होगा। **एमजीपीएसवाई** अंशदान में से एनपीएस-लाइट में बचत पीएफआरडीए विनियमित पेंशन निधि में निवेशित रहेगी तथा उसकी वापसी उन्हें पीएफआरडीए के नियमों के अनुसार तब की जाएगी जब वे वृद्ध हो जाएंगे। एकमुश्त आरएंडआर आहरणों तथा एनपीएस-लाइट के माध्यम से पेंशन लाभ का भुगतान प्रत्येक वैयक्तिक **एमजीपीएसवाई** सब्सक्राइबर के बैंक खाते में किया जाएगा।

अनवरत सहायता और शिकायत निवारण

निधि के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण के प्रयोजनार्थ तथा एमजीपीएसवाई के लाभार्थियों की आशंकाओं, प्रश्नों और शिकायतों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने और उनका समाधान करने के लिए समओआईए ने एक केन्द्रीय हैल्प-डेस्क स्थापित किया है।

लाभार्थी help@iwrc-uae.com पर तथा एक केन्द्रीय हैल्पलाइन नम्बर 80046342 पर कॉल करके अपने खाते में शेष राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
http://www.moia.gov.in

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना की

घोषणा करता है

जबकि ईएसआर पासपोर्टधारक **अनुमानित 5 मिलियन भारतीय राष्ट्रिक** विशेष रूप से निर्माण, स्वास्थ्य देखरेख और घरेलू सेवा क्षेत्रों में अस्थायी नियोजन/संविदा वीजा के संबंध में अधिकांशत: खाड़ी देशों में कार्य कर रहे हैं, यह देखा गया है कि प्रवासी भारतीय कर्मकारों द्वारा भारत में उनके परिवारों को आवधिक रूप से भेजी गई राशि में से अधिकांश राशि बचत के रूप में संचयित नहीं हो पाती है तथा प्राय: उनके परिवारों के उपयोग व्यय में केवल एक हल्का सा सुधार कर पाती है। इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश प्रवासी भारतीय कर्मकार उस समय गरीबी का जोखिम झेलते हैं, जब वे भारत वापस लौटते हैं और जब वे वृद्ध होकर काम करने योग्य भी नहीं रह जाते हैं।

प्रवासी भारतीय कर्मकारों को बड़े पैमाने पर ईसीआर देशों के निवासियों को उपलब्ध औपचारिक सामाजिक सुरक्षा लाभों से बाहर रखा जाता है। भारत सरकार ने उनके अंतर्वेशी विकास के लिए सतत् और गहन प्रतिबद्धता दर्शाई है तथा नियोजन अवसर उपलब्ध कराने और उनकी आय में सुधार करने के लिए तथा अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक समान पहुंच उपलब्ध कराने हेतु अनेक महत्वूपूर्ण कदम उठाए हैं। लेकिन, प्रवासी भारतीय कर्मकारों को ऐसे नीतिगत पहलकदमों से लाभ प्रदान करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं है।

एमजीपीएसवाई की पृष्ठभूमि

इस संदर्भ में **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय** (एमओआईए) ने **महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा स्कीम** (एमजीपीएसवाई) नामक एक नई एकीकृत स्कीम आरंभ की है। **एमजीपीएसवाई** प्रवासी भारतीय कर्मकारों को उनकी वापसी और पुनर्वासन के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने, उनकी वृद्धावस्था के लिए बचत करने तथा एक जीवन बीमा कवर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उन्हें समर्थ बनाएगी।

इस स्कीम में भाग लेने के लिए प्रवासी भारतीय कर्मकारों को प्रोत्साहित करने, समर्थ बनाने और उनकी सहायता करने के लिए एक सुरक्षित तथा सुविनियामित सांस्थानिक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। व्यापक रूप से स्वैच्छिक नामांकनों को प्रेरित करने, नियमित बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा प्रवासी भारतीय कर्मकारों की आरएंडआर और पेंशन संचयन राशि में वृद्धि करने के लिए **एमओआईए** प्रवासी भारतीय पुरुष कर्मकार को

2000 रुपए प्रतिवर्ष तथा प्रवासी भारतीय महिला कर्मकार को 3000 रुपए प्रतिवर्ष की राशि का सह-अंशदान पांच वर्ष तक प्रदान करेगा। प्रस्तावित सह-अंशदान प्रत्येक पात्र सब्सक्राइबर के वैयक्तिक **एमजीपीएसवाई** खाते में अंतरित किया जाएगा।

विशेषताएं

स्कीम का नाम

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई)

पात्रता

ईसीआर पासपोर्ट रखने वाले तथा 18 से 50 वर्ष के बीच की आयु वाले प्रवासी भारतीय कर्मकार, जो नियोजन/संविदा वीजा पर विदेशों में उत्प्रवास कर रहे हैं अथवा विदेशों में पहले ही उत्प्रवास कर गए हैं, एमजीपीएसवाई में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

प्रतिभागिता

एमजीपीएसवाई पात्र पुरुष और महिला प्रवासी भारतीय कर्मकारों के लिए एक स्वैच्छिक स्कीम है।

लाभ

पीएफआरडीए द्वारा विनियमित एनपीएस लाइट द्वारा वृद्धावस्था में पेंशन।

यूटीआई मासिक आय योजना (एमआईएस) के माध्यम से वापसी और पुनर्वासन (आरएंडआर) के लिए बचत।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 30,000 रुपए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75,000 रुपए का सावधि जीवन बीमा कवर।

एमजीपीएसवाई में कर्मकार का अंशदान

प्रतिवर्ष 1,000 रुपए और 12,000 रुपए के बीच पेंशन अंशदान।
प्रतिवर्ष 4,000 रुपए का आरएंडआर अंशदान।

एमजीपीएसवाई अंशदाताओं के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का सह-अंशदान

पुरुष कर्मकारों के लिए 2,000 रुपए से 1,900 रुपए का तक सह-अंशदान।
महिला कर्मकारों के लिए 3,000 रुपए से 2,900 रुपए का तक सह-अंशदान।

पेंशन, बीमा और आरएंडआर के लिए **एमओआईए** का सह-अंशदान प्रवासी भारतीय कर्मकार के भारत में पुन: वापस आने तक अथवा उसके स्कीम में शामिल होने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए, इनमें जो भी पहले हो, जारी रहेगा।

प्रवासी भारतीय पुरुष कर्मकार के लिए संचयित लाभ

कोई पुरुष प्रवासी भारतीय कर्मकार जो एनपीएस-लाइट में स्वैच्छिक रूप से 1,000 रुपए प्रतिवर्ष की बचत करता है तथा अपने आरएंडआर में प्रतिवर्ष 4,000 रुपए की बचत करता है, वह स्वावलंबन की तर्ज पर 1,000 रुपए का वार्षिक सह-अंशदान तथा 1,000 रुपए का वार्षिक एसएंडआर सह-अंशदान प्राप्त करेगा।

एमओआईए सह-अंशदान की अवधि

प्रवासी भारतीय पुरुष कर्मकार के लिए संचयित लाभ

कोई महिला प्रवासी भारतीय कर्मकार जो एनपीएस-लाइट में स्वैच्छिक रूप से 1,000 रुपए प्रतिवर्ष की बचत करता है तथा अपने आरएंडआर में प्रतिवर्ष 4,000 रुपए की बचत करता है, वह स्वावलंबन की तर्ज पर 2,000 रुपए का वार्षिक सह-अंशदान तथा 1,000 रुपए का वार्षिक एसएंडआर सह-अंशदान प्राप्त करेगा।

एमजीपीएसवाई स्कीम का प्रबंधन

एमजीपीएसवाई सब्सक्राइबरों की सेवानिवृत्ति बचत तथा सरकार के तदनुरूपी सह-अंशदान का प्रबंधन सीएफआरडीए स्टेट बैंक (एसबीआई), यूटीआई एएमसी तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रयोजित पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा। **एमजीपीएसवाई** सब्सक्राइबरों की आरएंडआर बचत तथा उसके साथ सरकार के तदनुरूपी सह-अंशदान का प्रबंधन सेबी द्वारा निर्दिष्ट निवेश विनियमों के अनुसार यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा मासिक आय योजना में किया जाएगा।